संख्या-44 /2024/001-662-24-1-2024-34 LOAN-86

प्रेषक,

भंजन यादव,
अनु सचिव,
उशासन। 0प्र0

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0पावर कारपोरेशन लि 0प्र0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

उर्जा अनुभाग – 1 लखनऊ : दिनांक 21 मई, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को विद्युत कर वसूली के विरूद्ध समायोजन हेतु क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उउपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-83/अधि0नि0(वित्त)/वि0प्र0-2/आय-व्ययक 2024-25/453, दिनांक 20 अप्रैल, 2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को विद्युत कर वसूली के विरूद्ध समायोजन हेतु क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि 2600,00,00,000/- (रूपये दो हजार छः सौ करोड़ मात्र) में से प्रथम त्रैमास हेतु धनराशि रूपये 650,00,00,000/- (रूपये छः सौ पचास करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण पुस्तक समायोजन के द्वारा किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाया जायेगा तथा तत्संबंधी बिल ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को प्रतिहस्ताक्षर हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि पुस्तक समायोजन द्वारा प्राप्त लेखाशीर्षक 0043-विद्युत कर तथा शुल्क-101-विद्युत के उपभोग और बिक्री पर कर-01-विद्युत के उपभोग और बिक्री पर कर के अन्तर्गत जमा किया जायेगा।

(4) इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा तथा यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा संग्रहीत इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी का सत्यापित विवरण यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

(6) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान में लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता के नियमों के अन्तर्गत निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि की किश्त के व्यय विवरण उपयोगिता प्रमाण-पत्र सहित अगली किश्त का मांग पत्र देय तिथि से तीन दिन पूर्व उपलब्ध कराने पर ही अगली किश्त निर्गत की जायेगी।

(8) प्रथम त्रैमास के assessment के सापेक्ष वास्तविक प्राप्ति के सम्बन्ध में सूचना के साथ प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाने पर द्वितीय त्रैमास की धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में विचार किया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 6,50,00,00, 000(रुपये छह अरब पचास करोड़ मात्र को (चालू वित्तीय वर्ष 2024- व्ययक मे-के आय 2025**अनुदान संख्या** 009**लेखा शीर्षक** उत्तर प्रदेश 2801058001000 को विद्युत कर की भुगतान की गयी धनराशि के विरूद्ध राजस्व क्षतिपूर्ति अनुदान 0पावर कारपोरेशन लि **मानक मद** सब्सिडी के नामे डाला जायेगा। 27

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-11-X-2024-25-दिनांक:14-5-2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

प्रभंजन याद)
अनु सचिव।

संख्या-44 /2024/001-662(1)-24-1-2024-34 LOAN-86, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम/(लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग,प्रयागराज-211001
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

प्रभंजन यादव
अनु सचिव।